

## कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

www.districts.ecourts.gov.in, e-mail: raipur.court@nic.in

Phone: 0771- 2426742, FAX: 2445457

### निविदा की शर्तें

1- निविदा सीलबंद लिफाफे के उपर जिला न्यायालय रायपुर तथा बाह्य अधीनस्थ न्यायालयों कमशः गरियाबंद, तिल्दा, राजिम तथा देवभोग में यू0पी0एस0 में सुधार किये जाने के लिये हेतु निविदा" लिखी जाकर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को संबोधित करते हुए लिफाफे के बायी ओर स्वयं का पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित कर कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डॉक/कोरियर सेवा के माध्यम से दिनांक 21 नवंबर 2024 के सांय 05:00 बजे तक प्रेषित की जा सकेगी । दिनांक 21 नवंबर 2024 के सांय 05:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त निविदा आवेदन पर ही विचार किया जावेगा ।

2- निविदायें खोलते समय निविदाकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि कय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकतें हैं । निविदा समिति के द्वारा निर्धारित तिथि को निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में कय समिति के द्वारा निविदा खोली जावेगी ।

3- प्रदाय या परिवर्तित की जाने वाली सामग्री मापदंड के अनुसार प्राप्त नहीं होने की दशा में स्वीकार नहीं की जावेगी तथा निविदाकर/प्रदायकर्ता फर्म/संस्थान को उसे अपने स्वयं के व्यय पर वापस ले जाना होगा ।

4- यदि प्रदाय या परिवर्तित की जाने वाली सामग्री में किसी प्रकार की कमी/ खराबी पायी जाती है तो कार्यालय के द्वारा उक्त सामग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को उक्त खराब सामग्री के स्थान पर दूसरी नयी सामग्री प्रदान करना होगा ।


5- यू0पी0एस0 सुधार की सामग्री की दर्शित दर पर ही कार्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। मालभाड़ा, ढुलाई व्यय इत्यादि निविदाकार स्वयं वहन करेगा ।

6- सामग्री की दर सभी प्रकार के कर को मिलाकर होगी, निविदाकार को सामग्री के पूर्ण विवरण एवं कर इत्यादि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा । प्राप्त निविदा को स्वीकार किये जाने अथवा बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किये जाने का संपूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के अधीन होगा ।

7- निविदा अंतिम तिथि के पश्चात् जैसा भी समिति के द्वारा तिथि नियत की जावे, खोली जावेगी यदि किसी अपरिहार्य कारण से निविदा नहीं खोली जा सकी तो आगामी कार्यदिवस पर खोली जावेगी ।

//3//

- 8— जिन फर्मों/ संस्थानों के द्वारा निविदा भरी जावेगी उनको संबंधित कंपनी के अधिकृत डीलर/विक्रेता होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- 9— निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट <https://raipur.dcourts.nic.in> से डाउनलोड की जा सकेगी ।
- 10— सामग्री प्रदाय किये जाने के पश्चात् उसके इंस्टालेशन एवं वारंटी अवधि में आई किसी तकनीकी खराबी हेतु कंपनी से समन्वय का कार्य सफल निविदाकार द्वारा किया जावेगा ।
- 11— सफल निविदाकार को राशि का भुगतान यू0पी0एस0 उपकरणों के सफल इंस्टालेशन एवं कार्यशील होने पर ही कार्यालय की संतुष्टि के उपरांत ही किया जावेगा ।

  
07.11.2024

अध्यक्ष

कय समिति

कार्या0—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
रायपुर छ.ग.

# कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

## // निविदा आवेदनपत्र का प्रारूप //

जिला न्यायालय, रायपुर तथा बाह्य अधीनस्थ न्यायालयों कमशः गरियाबंद, तिल्दा, राजिम एवं देवभोग में यू0पी0एस0 सुधार के संबंध में निविदा ।

क्रमांक	विवरण	संस्था/फर्म/निविदाकार के द्वारा दी जाने वाली जानकारी
1	संस्था/फर्म का नाम	
2	संस्था/फर्म के संचालक का नाम	
3	संस्था/फर्म का रजिस्टर्ड पता	
4	दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	पेन कार्ड का नंबर	
6	TIN नंबर	
7	TAN नंबर	
8	अधिकार प्रमाणपत्र	
9	अन्य विवरण जो आवश्यक हो	
यू0पी0एस0 सुधार का विवरण		
	सामग्री का नाम	प्रस्तावित दर (केवल एक नग का)
1	यू0पी0एस0 सुधार दर	
2	01 नग बैटरी 42 ए0एच0 का मूल्य एवं 06 नग बैटरी का कुल मूल्य पृथक-पृथक	
3	इंस्टालेशन एवं सर्विस चार्ज	

निविदाकार के हस्ताक्षर  
फर्म/संस्था की सील

